Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

मुकदमा संदीप आदि बनाम हेतराम आदि

धारा :- 88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या:- 72 / 2019

25.3.19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्ला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
25.3.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12.4.2019 को पेश हो।	
12/4/19	अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो। प्रति. 6.1 ता 3 [illegible] [illegible] पेश किया [illegible]। पत्रा वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 29.4.19 को पेश हो।	
29/4/19	अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21.6.19 को पेश हो।	
21/6/19	अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 2.8.19 को वास्ते जवाब स्टेट पेश हो।	
22.7.19	प्रार्थी अभि. द्वारा शीघ्र सुनवाई तारीख पेशी [illegible] हेतु प्र. पत्र पेश किया गया। प्र. पत्र No-objection होने से ता. पेशी [illegible] होकर पत्रा वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 9.8.2019 को पेश हो।	

9-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित राज पैरोकार द्वारा जवाब स्टेट हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 23-8-19 को पेश हो। पुनश्च: राज पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया शामिल पत्रावली किया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23-8-19 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

29-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वादी सन्दीप उपस्थित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने का कथन कर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय चाहा पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 6-9-19 को पेश हो।

संदीप
9 by me
संतोष सिंह

6-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी संख्या एक स्वयं उपस्थित साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा जिरह नहीं करने का कथन किया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13-9-19 को पेश हो।

हेटराम
9 by me

13-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष स्वयं उपस्थित संशोधित राजीनामा मय शपथ पत्र पेश किया राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब स्टेट दिनांक 16-9-19 को पेश हो।

संदीप
संतोष
9 by me
हेटराम
9 by me

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16-9-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित स्टेट जवाब पूर्व में शामिल पत्रावली किया गया है। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा ~~बाद~~ स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	
9/10/19	वादी वकील द्वारा निर्णय दिनांक 16.9.19 पालना के डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया शा०प्रि० किया जाकर डिक्री जारी कर शा०प्रि० की गई है	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 263/2019

1 संदीप पुत्र श्री हेतराम आयु 36 वर्ष, } अकवाम जाट निवासी डबलीबास पेमा
2 संतोष पत्नि श्री संदीप आयु 33 वर्ष } तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 हेतराम पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट भांभू आयु 59 वर्ष निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – असल प्रतिवादी
2 श्रीमति गोमती पत्नि श्री हेतराम जाति जाट भांभू आयु 54 वर्ष निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तारादेवी पुत्री श्री हेतराम पत्नि श्री बलवीर सिंह जाति जाट निवासी पक्का सारनान हाल तारानगर जिला चुरू (राज.)
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता	वादीगण
2. श्री गुरमेलसिंह ढिल्लो अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. राज पैराकार	प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 16.09.2019

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निम्नांकित चकों में बतौर खातेदार कृषक निम्न कृषि भूमि है :–

(क) चक नम्बर 16 जे.आर.के. खाता संख्या 193/181 पत्थर नम्बर 53/258 किला नम्बर 4 ता 8, 11 ता 20 तादादी 3.795 हैक्टर संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.658 हैक्टर अंकित है।

(ख) चक नम्बर 16 जे.आर.के. खाता संख्या 149/141 पत्थर नम्बर 55/255 किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 25 पत्थर नम्बर 55/256 किला नम्बर 1 ता 9 तादादी 7.843 हैक्टर संयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/6 हिस्सा है।

(ग) चक नम्बर 11 जे.आर.के के खाता संख्या 110/105 पत्थर नम्बर 74/255 केला नम्बर 5, 6, 15, 17, 24 तादादी 1.265 हैक्टर में हेतराम की 0.212 हैक्टर भूमि है।

(घ) चक नम्बर 11 जे.आर.के. के खाता संख्या 67/50 पत्थर नम्बर 72/255 किला नम्बर 6, 15 पत्थर नम्बर 73/255 किला नम्बर 7, ता 11 कुल 1.771 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 की 0.295 हैक्टर भूमि है।

(ड़) चक नम्बर 12 जे.आर.के. के खाता संख्या 7/6 पत्थर नम्बर 74/254 किला नम्बर 16, 22, 23, 24, पत्थर नम्बर 73/255 किला नम्बर 6, 14, 15, 18, पत्थर नम्बर 72/256 किला नम्बर 14 ता 18, 22 ता 25 पत्थर नम्बर 70/258 किला नम्बर 6, 15 तादादी 4.807 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 की 0.612 हैक्टर भूमि है।

(च) चक 11 जे.आर.के. के खाता संख्या 137/131 पत्थर नम्बर 74/255 किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 9, 10 तादादी 1.518 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का कुल 20 हिस्सा है।।

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 पूर्व में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यगण थे। वादी संख्या 1 के दादा स्वर्गीय श्री बृजलाल व दादी मुस्मात रूकमा के कुल 6 पुत्र संतान हुए जो कि क्रमशः सर्व श्री रणवीर, रायसिंह, रामप्रताप. हेतराम (प्रतिवादी संख्या 1), रामकुमार व इन्द्राज हैं। उपरोक्त में से श्री हेतराम व श्री इन्द्राज जीवित हैं शेष सभी पुत्र फौत हो चुके हैं, जिनकी वंशाली में दर्शित संतान है। वादी संख्या 1 के दादा व दादी दोनों की मृत्यु हो चुकी है।

दादा श्री बृजलाल के जीवनकाल में वे अपने संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान थे व उन्हीं के साथ उनके समस्त पुत्र निवास करते थे। कालान्तर में यह संयुक्त परिवार विभक्त हो गया व प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विभाजन में कृषि भूमि प्राप्त हुई जिसमें वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रहते हुए काश्त करने लगे व पैतृक भूमि से प्राप्त होने वाली आय से प्रतिवादी संख्या 1 जो कि अपने संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता थे, के नाम से उनके वरिष्ठ सदस्य होने के नाते व सम्मान सूचक कृषि भूमि का अर्जन किया गया परन्तु ऐसी समस्त कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई व उनके नाम से अपने पिता के परिवार से अलग होने के पश्चात अर्जित किया गया, में वादी व वादी की बहन तारादेवी का बतौर सहदायिक समभाग में हिस्सा निहित था। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के परिवार के कर्ता खानदान थे। इस प्रकार समस्त कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित किया गया है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से नामान्तरित है, प्रतिवादी संख्या 1 की स्व.अर्जित सम्पत्ति न होकर बल्कि पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें वादी संख्या 1 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 का प्री एग्जिस्टिंग राईट निहित था। वादी संख्या 1 के दादा श्री बृजलाल के फौत होने पर उनके समस्त पुत्रों को विरास्तन कृषि भूमि व अन्य सम्पत्तियां प्राप्त हुई। वादी संख्या 1 की दादी श्रीमति रूकमादेवी का चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 149/141 मुन्दर्जा दफा 2 (ख) में 1/7 हिस्सा दर्ज था अर्थात इस खाता की कुल भूमि 7.843 हैक्टर में 1.1204 हिस्सा था जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात् विरास्तन सभी 6 पुत्रों को समभाग में न्यागत हुआ जो कि प्रत्येक को 0.186 हैक्टर का हिस्सा प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कुल कृषि भूमि 1.307 हैक्टर नामान्तरित हो गई जो कि 5 बीघा सवा तीन बिस्वा भूमि के समान है।

आज से करीब 5 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने कर्ता खानदान की हैसियत से अपने इस संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्तियों का विशेषकर इस कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया। बंटवारा के जरिये परिवार की स्त्री सदस्यों को भी कृषि भूमि विभाजन में प्रदान की गई जिसमें वादी संख्या 1 की पत्नि संतोष व वादी संख्या 1 की माता श्रीमति गोमती भी सम्मिलित हैं। इस बंटवारा से वादी संख्या 1 को वाद पत्र की चरण संख्या 2 (क) में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित कुल 0.658 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई व कृषि भूमि मुन्दर्जा दफा 2 (ख) जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.307 हैक्टर कृषि भूमि नामान्तरित है, में से 0.949 हैक्टर वादीया संख्या 2 को व 0.358 हैक्टर वादी संख्या 1 को दे दी गई व इस भूमि का कब्जा वादीगण को भौतिक रूप से संभला दिया गया। तब से लेकर वादीगण विभाजन में प्राप्त इस कृषि भूमि को विभक्त सदस्यगण होने के नाते निरपेक्ष रूप से धारित कर रहे हैं। इस प्रकार चक 16 जे.आर.के. के दोनों खातों में वादीगण को कुल 1.965 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। इस विभाजन के समय वादी संख्या 1 की बहन प्रतिवादीया संख्या 3 तारादेवी ने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपने विवाह के समय प्राप्त धनराशियां, जेवरात व अन्य घर बिखरी के सामान को अपने हिस्सा के रूप में स्वीकार किया।

लगातार 3

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy, Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 2 की जिम्न (ग) से (घ) में जो कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है, उन्हें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त किया जाना स्वीकार किया व इन्हीं कृषि भूमियों पर वे निरपेक्ष रूप से काबिज हो गये। इस पारिवारिक समझौता की घटना को स्मरण के तौर पर दिनांक 07.03.2019 को एक पारिवारिक समझौता का स्मरण पत्र के रूप में उभय पक्ष ने निष्पादित करवाया व विगत 5 वर्ष पूर्व हुए मौखिक पारिवारिक समझौता की स्थिति को स्वीकार करते हुए इस पारिवारिक बंटवारा के स्मरण पत्र को निष्पादित करवाकर इसके अनुसार कृषि भूमि के नामान्तरण को करवाए जाने के लिए प्रत्येक पक्ष को स्वतंत्र किया ताकि ऐसे समझौता पत्र के अनुसरण में उभयपक्ष अपने अधिकारों को घोषित करवा सके।

दो दिवस पूर्व जब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उक्त समझौता पत्र के अनुसरण में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ से कृषि भूमि का विभाजन परस्पर सहमति के आधार पर करवाने का निवेदन किया तो वे इन्कार हो गये व स्पष्ट रूप से वादीगण को कहा कि वे ऐसे समझौता को नहीं मानते हैं। यही वाद कारण है।

प्रतिवादीगण व वादीगण ने परस्पर सहमति से उक्त समझौता के मैमोरण्डम को निष्पादित करवाया है व इसे नोटरी पब्लिक से अनुप्रमाणित भी करवाया है। यह पारिवारिक बंटवारा विगत 5 वर्षों से परस्पर हुए बंटवारा के अनुसरण में प्रभावी चला आ रहा है व इसी अनुसार पक्षकार मुकदमा अपने विभाजित हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। सभी पक्षों ने इस पारिवारिक बंटवारा को अपने आचरण से भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में इस पारिवारिक बंटवारा से भिन्न आचरण करने से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विधिक तौर पर विबंधित हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण पारिवारिक समझौता से हुए बंटवारा के अनुसरण में वाद पत्र की चरण संख्या 2 (क) व (ख) में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित कृषि भूमि को उपरोक्तानुसार अपने नाम से बतौर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो कि 2/– रुपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 (क) में अंकित कृषि भूमि वाके चक 16 जे.आर.के. के खाता संख्या 193/181 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 0.658 हैक्टर भूमि का वादी संख्या 1 व उपचरण संख्या (ख) में अंकित कृषि भूमि खाता संख्या 149/141 की कुल 7.843 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हिस्सा कुल 1.307 हैक्टर में 0.358 हैक्टर का वादी संख्या 1 व 0.949 हैक्टर की वादीया संख्या 2 खातेदार कृषक हैं।

(ख) उपरोक्त दोनों खातों की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित फरमाया जाकर उपरोक्तानुसार घोषणात्मक आज्ञप्ति के अनुसरण में वादीगण के नाम नामान्तरण दर्ज करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जाना उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 13.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार 4

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रथम पक्ष के परिवार में उसकी पत्नि श्रीमति गोमती, पुत्र संदीप, पुत्री तारादेवी है। यह एक संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका कर्ता खानदान बतौर ज्येष्ठ सदस्य है। पूर्व में इस अविभक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान मिकर के पिता श्री वृजलाल थे। मिकर के पिता व माता श्रीमति रूकमा फौत हो चुके हैं। उक्त संयुक्त हिन्दू परिवार का प्रथम पक्ष कर्ता खानदान था। मिकर प्रथम पक्ष को कुछ भूमि अपने पिता से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई व कुछ सम्पति इसी पैतृक भूमि से मिकर व उसके पुत्र श्री संदीप ने संयुक्त परिश्रम से मिकर प्रथम पक्ष के नाम से अर्तित किया गा जिसे मिकर प्रथम पक्ष नें संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होना मानकर उसी में ही मिकर के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति समझा ऐसी सम्पत्यिां व कृषि भूमि जो मिकर प्रथम पक्ष के नाम से खरीद की गई है, वे प्रथम पक्ष की स्वअर्जित न होकर संयुक्त परिवार की ही सम्पतियां है जिनमें प्रथम पक्ष की पत्नि, पुत्र व अन्य सदस्यगण का प्री–एग्जिस्टिंग अधिकार निहीत है। इसके अतिरिक्त मिकर प्रथम पक्ष के पिता श्री वृजलाल के फौत होनें पर उनके नाम नामान्तरित कृषि भूमि जो पैतृक थी विरास्तन प्रथम पक्ष की माता श्रीमति रूकमादेवी व मिकर प्रथम पक्ष व उनके भाईयों को न्यागत हुई। प्रथम पक्ष की माता रूकमा को जो विरास्तन हक मिला वह उनकी मृत्यु के पश्चात प्रथम पक्ष व उसके भाईयों व उनके परिवार के सदस्यगण को बहिस्सा बराबर मिला।

प्रथम पक्ष ने आज से करीब 5 वर्ष पूर्व कर्ता खानदान की हैसियत से अपने इस हिन्दू संयुक्त परिवार की कृषि भूमि का बंटवारा कर दिया व इस बंटवारा के जरिये अपने पुत्र संदीप को अलग कर दिया। घरेलू बंटवारा के समय मिकर ने चक 16 जे.आर.के. खाता संख्या 193/181 में अंकित 658 हैक्टर कृषि भूमि को अपने पुत्र संदीप को व इसी चक के खाता संख्या 149/141 की भूमि जो मिकर प्रथम पक्ष के नाम से खाता की कुल भूमि 7.843 हैक्टर में 1/7 हिस्सा की थी व जो कि रूकमादेवी पत्नि वृजलाल अर्थात प्रथम पक्ष की माता के फौत होने के पश्चात विरास्तन अपने भाईयों के साथ बहिस्सा बरावर प्राप्त होने पर मिकर प्रथम पक्ष का इस खाता की कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा हो गया जो कि कुल 1.307 हैक्टर अर्थात 5 बीघा सवा तीन बिस्वा भूमि के लगभग न्यागत हुई। इस कृषि भूमि कुल 1.307 हैक्टर को अपने पुत्र संदीप को दे दी थी। इसी घरेलू बंटवारा के अनुसार यह तय हुआ कि इन दोनों खातों जो कि चक 16 जे.आर.के. के हैं, में मिकर प्रथम पक्ष कोई भूमि प्राप्त नहीं करेगा व मिकर तथा उसकी पत्नि श्रीमति गोमती मिकर प्रथम पक्ष के नाम से अन्य चकों जो कि चक 11 व 12 जे.आर.के. के उपरोक्त खाता की भूमि है। ऐसी समस्त कृषि भूमि मिकर प्रथम पक्ष व उसकी पत्नि ने धारित की। इस बंटवारा के होने पर मिकर प्रथम पक्ष ने चक 16 जे.आर.के. की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि जो दोनों खातों की करीब 7 बीघा 15 विस्वा बनती है, अपने पुत्र संदीप को देकर कब्जा सम्भला दिया था तब से लेकर आज तक इसी प्रकार से पक्षकार दस्तावेज कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। पूर्व में हुए घरेलू बंटवारा के जरिये भी तय हुआ था कि सभी पक्ष घरेलू बंटवारा के अनुसार अपने नाम से कृषि भूमि में नाम परिवर्तन करवाने के लिए भी स्वतंत्र होंगे और मिकर का पुत्र चक 16 जे.आर.के. के दोनों खातों की कृषि भूमि जो कि मिकर प्रथम पक्ष के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है, को उपरोक्त बंटवारा के अनुसार अपने नाम से नामान्तरित करवाने का हकदार होगा।

मिकर व उसकी पत्नि ने अपनी पुत्री तारादेवी के विवाह पर उसे उसके हक व हिस्सा की भूमि की कीमत से भी अधिक कीमत की नगद धनराशियां, जेवर व उपहारों को दिया जा चुका है जिसने भी मिकर प्रथम पक्ष के नाम की कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा

लगातार 5

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

नगद धनराशि, जेवरात व अन्य सामान के रूप में प्राप्त करना स्वीकार कर अब इस भूमि में अपना कोई हिस्सा न होना मानने की स्वीकृति दी है। पूर्व में घरेलू बंटवारा के समय भी ऐसे बंटवारा के लिए तारादेवी ने अपनी स्वीकृति दी थी।

प्रथम पक्ष के पुत्र के आग्रह करने पर यह स्मरण पत्र लिखकर प्रथम पक्ष व उसके परिवार के अन्य सदस्यगण के मध्य लिखित रूप में निष्पादित करवाया जा रहा है ताकि इसके आधार पर उन्हें बंटवारा में प्राप्त हुई कृषि भूमि पर कानूनन स्वत्व प्राप्त हो सके।

अतः पारिवारिक बंटवारा का स्मरण पत्र के तौर पर इस लिखित को लिखकर प्रथम पक्ष व उसके परिवार के समस्त सदस्यगण के द्वारा परस्पर सहमति से बिना किसी दबाव के पूर्व में हुए बंटवारे को स्वीकार करते हुए इसे एक स्मरण के दस्तावेज के तौर पर निष्पादित करवाया गया है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

स्टेट की ओर से पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र का मदवार जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 6

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि चक 16 जे.आर.के. में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल की भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी जो प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र होनें के कारण उनका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र पुत्र श्री बृजलाल के नाम चक 16 जे.आर.के. खाता संख्या 193/181 में अंकित 0.658 हैक्टर कृषि भूमि तथा खाता संख्या 149/141 में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल की 1/6 हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी संख्या 1 सन्दीप 9पुत्र हेतराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(9)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 072/2019

1 संदीप पुत्र श्री हेतराम आयु 36 वर्ष, } अकवाम जाट निवासी डबलीवास पेमा
2 संतोष पत्नि श्री संदीप आयु 33 वर्ष } तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 हेतराम पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट भांभू आयु 59 वर्ष निवासी डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
– – असल प्रतिवादी
2 श्रीमति गोमती पत्नि श्री हेतराम जाति जाट भांभू आयु 54 वर्ष निवासी डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 तारादेवी पुत्री श्री हेतराम पत्नि श्री बलवीर सिंह जाति जाट निवासी पक्का सारनान हाल तारानगर जिला चुरू (राज.)
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
– – तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 16.09.2019

वादीगण की और से श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री गुरमेलसिंह ढिल्लो अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 16.09.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल के नाम चक 16 जे.आर.के. खाता संख्या 193/181 में अंकित 0.658 हैक्टर कृषि भूमि तथा खाता संख्या 149/141 में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल की 1/6 हिस्सा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम पुत्र श्री बृजलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी संख्या 1 सन्दीप पुत्र हेतराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 09.09.2019 को 9.10.19 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:21:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: